शर्तें लागू होती हैं+

नवीनीकरण लाभ	केवल तभी लागू होंगे, यदि पॉलिसी का नवीनीकरण पिछली पॉलिसी के कालातीत होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर करवाया जाता है।
सह–भुगतान	भौगोलिक रेटिंग संरचना प्रस्तुत की जा रही है, यानी ज़ोन ए (महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बैंगलोर) एवं ज़ोन बी (शेष भारत)। अगर ज़ोन बी के किसी ग्राहक द्वारा ज़ोन ए में कोई दावा किया जाता है, तो वह 25% सह–भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। हालाँकि ज़ोन बी के निवासी ज़ोन ए के लिए लागू अनुसार एक उपयुक्त प्रीमियम चुकाने का विकल्प ले सकते हैं और संपूर्ण भारत में बिना किसी सह–भुगतान के उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

पॉलिसी निरस्तीकरण (फ्री–लुक के अतिरिक्त)

पॉलिसीधारक इस पॉलिसी को 15 दिन की लिखित सूचना देकर निरस्त कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में कंपनी द्वारा अकालातीत पॉलिसी अवधि के लिए प्रीमियम वापस कर दी जाएगी, जो कि वापस की गई प्रीमियम के जोखिम % पर निम्नांकित वर्णित अवधि के अनुसार लघु अवधि आधार पर होगी।

जोखिम पर अवधि	वापस की गई प्रीमियम का %
1 माह तक	75%
3 माह तक	50%
6 माह तक	25%
6 माह से अधिक	शून्य

+बीमा–सुरक्षा, नियमों व शर्तों के बारे में संपूर्ण स्वास्थ्य विवरणों के लिए कृपया सूची–पत्र एवं पॉलिसी शब्दावलियों को सावधानीपूर्वक पढ़ें.

रिलायंस हेल्थवाइस पॉलिसी UIN: RELHLIP21522V032021

प्रतीक्षा अवधि

प्रथम 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि	किसी भी बीमारी के उपचार के लिए पॉलिसी तिथि शुरू होने से 30 दिन; इसमें किसी दुर्घटना से संबंधित दावे शामिल नहीं हैं।
पूर्व–विद्यमान रोग प्रतीक्षा अवधि	पीईडी और इसकी प्रत्यक्ष जटिलताओं के उपचार से संबंधित व्ययों के लिए 2/4 वर्ष की प्रतीक्षा, प्रथम पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि से निरंतर बीमा–सुरक्षा के पश्चात अपवर्जित हो जाएगी (पॉलिसी अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार)।
विशेष प्रतीक्षा अवधि	पॉलिसी शब्दावलियों में वर्णित अनुसार सूचीबद्ध अवस्थाओं के उपचारों, शल्यक्रियाओं/उपचारों से संबंधित व्ययों पर 1 वर्ष की प्रतीक्षा अवधि लागू होती है। प्रथम पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि के पश्चात 24 माह की एक निरंतर बीमा–सुरक्षा अनिवार्य है।

अपने पात्रता मानदंड देखें+

पॉलिसी को प्रस्तावक के रूप में 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्तियों द्वारा लिया जा सकता है। आश्रित बच्चों (यानी प्राकृतिक या वैधानिक रूप से गोद लिए गए एवं आर्थिक रूप से प्रस्तावक पर आश्रित) को 91 दिनों से 25 वर्ष की आयु तक आजीवन नवीनीकरण उपलब्ध बीमा–रक्षित किया जा सकता है। आजीवन नवीनीकरण उपलब्ध।

पॉलिसी को स्वयं के लिए और निम्नांकित परिजनों के लिए लिया जा सकता है:

ए. वैधानिक रूप से विवाहित जीवनसाथी

बी. 91 दिनों से 25 वर्ष की आयु तक के आश्रित बच्चे (यानी प्राकृतिक या वैधानिक रूप से गोद लिए गए)

आयु का मतलब प्रथम पॉलिसी जारी होने या नवीनीकरण होने की तिथि पर ''अंतिम जन्मदिन पर आयु'' है। यदि प्रस्ताव अवस्था के दौरान आयु में कोई परिवर्तन होता है, तो प्रीमियम की गणना के लिए प्रस्ताव प्रपत्र जमा करते समय जो ''आयु'' होगी, उस पर विचार होगा।

यह पॉलिसी किसी व्यक्ति और/या किसी परिवार को जारी की जा सकती है।

निरंतर नवीनीकरणों पर कोई अधिकतम बीमा–सुरक्षा स्थगन आयु नहीं है।

वैयक्तिक पॉलिसी: वैयक्तिक बीमाकृत राशि आधार पर एक एकल वैयक्तिक पॉलिसी में अधिकतम 4 सदस्य बीमा–रक्षित हो सकते हैं।

पारिवारिक पॉलिसी: पारिवारिक पॉलिसी के मामले में, एक परिवार चयनित अनुसार एक एकल बीमाकृत राशि को साझा करेगा. एक एकल–पारिवारिक पॉलिसी में अधिकतम 4 सदस्य, यानी बीमित व्यक्ति, वैधानिक रूप से विवाहित जीवनसाथी एवं 25 वर्ष तक की आयु के 2 आश्रित बच्चे बीमा–रक्षित हो सकते हैं.

पैसों की बचत करने वाली हमारी योजनाओं के साथ आगे की योजना

बीमाकृत राशि	₹ 1,00,000 ₹ 2,00,000	₹ 3,00,000 ₹ 400,000	₹ 5,00,000
लाभ	**स्टैंडर्ड प्लान**	**सिल्वर प्लान**	**गोल्ड प्लान**
अस्पताल में भर्ती होना	जी हाँ – इसमें 24 घंटों से अधिक की अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने संबंधी व्यय बीमा–रक्षित होते हैं।		
घर पर अस्पताल–भर्ती	जी हाँ – बीमाकृत राशि के 10% तक सीमित होकर, घर पर चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने पर हुए चिकित्सीय व्ययों के लिए, जिसके लिए अन्यथा अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक होता।		
अस्पताल में भर्ती से पूर्व चिकित्सा व्यय	30 दिन	60 दिन	60 दिन
अस्पताल में भर्ती होने के पश्चात चिकित्सा व्यय	60 दिन	90 दिन	90 दिन
पूर्व–विद्यमान रोग	4 निरंतर नवीनीकरणों के बाद	2 निरंतर नवीनीकरणों के बाद	2 निरंतर नवीनीकरणों के बाद
स्वास्थ्य जाँच व्यय	जी हाँ – हम चार क्रमागत और लगातार पॉलिसी वर्षों का एक ब्लॉक पूरा होने पर, बशर्ते कि उस ब्लॉक के दौरान किसी भी बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसियों के अंतर्गत कोई दावे प्रतिवेदित नहीं हुए हों, चिकित्सा जाँच के खर्च की प्रतिपूर्ति करेंगे, जो कि वैयक्तिक पॉलिसियों के लिए औसत बीमा राशि के 1% तक और पारिवारिक बीमा–सुरक्षाओं के लिए बीमा राशि के 1.25% तक होगा।		
गंभीर रोग	नहीं	नहीं	हाँ
दानदाता व्यय	नहीं	हाँ	हाँ
आधुनिक उपचार	जी हाँ – बीमाकृत राशि के 50% तक बीमा–रक्षित		

आपके लिए संवर्द्धित मूल्य

लाभ	स्टैंडर्ड प्लान	सिल्वर प्लान	गोल्ड प्लान
दैनिक अस्पताल–भर्ती भत्ता *+	नहीं	नहीं	₹250 प्रतिदिन, 7 दिनों तक ₹250 प्रतिदिन, 14 दिनों तक (सूचीबद्ध गंभीर रोग के मामले में)
नर्सिंग भत्ता (प्रतिदिन राशि)	नहीं	₹250 प्रतिदिन, अधिकतम 5 दिन की अवधि के लिए	₹300 प्रतिदिन, अधिकतम 5 दिन की अवधि के लिए ₹300 प्रतिदिन, अधिकतम 10 दिनों की अवधि के लिए (सूचीबद्ध गंभीर रोग के मामले में)
स्थानीय सड़क एम्बुलेन्स सेवा (इनमें से अधिकतम)	₹500/– तक	₹750/– तक	₹1000/– तक
स्वास्थ्य–लाभ	नहीं	जी हाँ – यदि कोई बीमित व्यक्ति 10 दिन से अधिक समय के लिए अस्पताल में भर्ती होता है, तो ₹10,000/– की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा.	
साथी व्यक्ति पर व्यय (प्रतिदिन राशि)	₹200 प्रतिदिन, अधिकतम 5 दिन की अवधि के लिए	₹250 प्रतिदिन, अधिकतम 5 दिन की अवधि के लिए	₹300 प्रतिदिन, अधिकतम 5 दिन की अवधि के लिए

*+दैनिक अस्पताल–भर्ती भत्ता दिन 4 से शुरू

Digital India Power To Empower | RELIANCE GENERAL INSURANCE | CSC e-Governance Services India Limited

हे ल्थ इं श्यो रे न्स

रिलायंस हेल्थवाइस पॉलिसी

जल्दी से जागिए, तुरंत बीमा करवाइए, समझदार बनिए, सेहत सुरक्षित बनाइए।

Tech+ ❤ = Live Smart

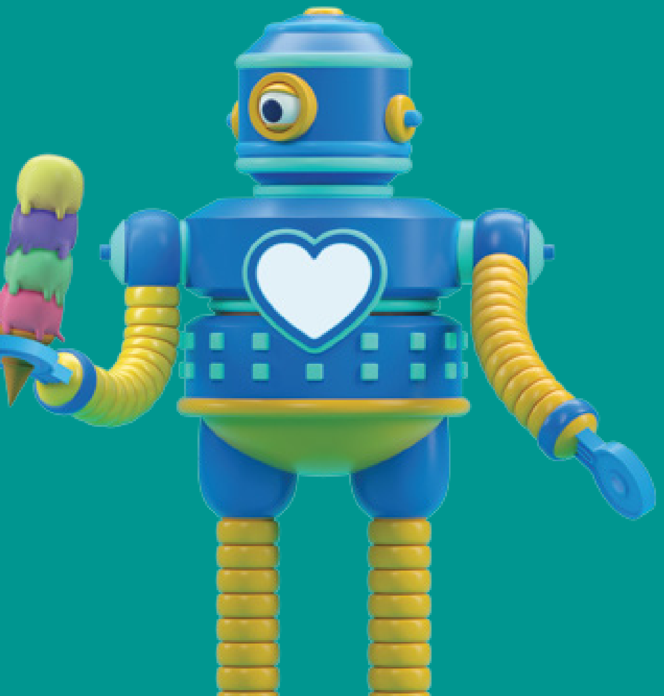

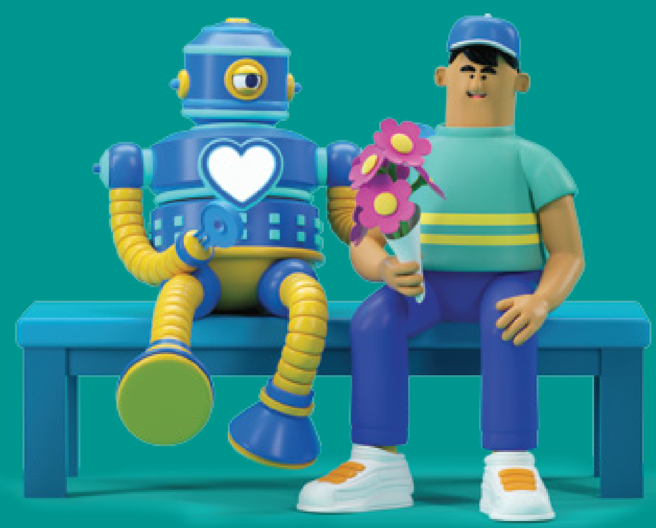

हमारी लाइफ़स्टाइल में ज़्यादातर बाहर खाना, देर से सोना, नियमित व्यायाम नहीं करना और देर रात तक बाहर घूमना आदि आम बात है। हमारी ज़िन्दगी में जो कुछ भी मज़ेदार है, वह हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए हम अपनी ज़िन्दगी का आनंद लेते हैं। पर आगे चलकर कभी न कभी हमारा शरीर हमारे द्वारा की गई सभी लापरवाहियों के चलते हमें पीछे धकेल ही देता है। और कोई भी अपनी सेहत की कीमत तब तक नहीं समझता है, जब तक वह सचमुच किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हो जाए। और जब भी ऐसा होता है, तब आप जल्दी से फिर स्वस्थ होना चाहते हैं और इसके लिए आपको एक परेशानी–रहित बीमा–पॉलिसी की आवश्यकता होती है, जो संकट की घड़ी में आपको बचा सके। हम आपकी इन भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए रिलायंस जनरल इंश्योरेन्स में हम आपके लिए लेकर आए हैं पैसों की बचत करने वाली एक बेहतरीन बीमा सुरक्षा, जो चिकित्सीय आपातकाल में आपको तुरंत सहायता के लिए देती है तकनीक की सुविधा, साथ ही एक ऐसी सहृदयता भी, जिसमें हम आपकी बचत को सुरक्षित रखते हुए आपकी सेहत संबंधी सभी ज़रूरतों की पूर्ति का महत्व अच्छी तरह से समझते हैं।

रिलायंस हेल्थवाइस पॉलिसी Tech + ♥ के साथ *Live* Smart का एक नया तरीका है।

हमें चुनने के 5 समझदारी भरे कारण

बेहतरीन कमरा, बिना किसी सीमा के
किसी भी प्रकार के चिकित्सीय आपातकाल में, आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है सही देखभाल पाना, और जल्दी स्वस्थ होने के लिए अच्छी सेवाएँ और बेहतर उपचार पाने में अस्पताल के कमरे का चयन एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए आपकी हेल्थवाइस पॉलिसी में अस्पताल के कमरे के किराए को लेकर कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। इसीलिए आप अपना कोई भी मनचाहा कमरा चुन सकते हैं और हम उस पर कोई भी सीमा रखे बिना आपके द्वारा चयनित बीमाकृत राशि तक उसे बीमा–रक्षित करते हैं।

घर पर इलाज, कोई बात नहीं
घर पर अस्पताल भर्ती एक ऐसा फ़ायदा है, जिसमें अगर रोगी अपनी अवस्था के कारण अस्पताल तक जाने में असमर्थ होता है, या अगर अस्पताल में बीमित व्यक्ति के लिए जगह नहीं होती है, तो उसे घर पर ही उपचार लेने की सुविधा मिलती है।

केयर के डे ही नहीं, डे केयर भी
इस स्वास्थ्य पॉलिसी में एक आंतरिक रोगी अस्पताल भर्ती के लिए बीमा–सुरक्षा मिलती है, जिसके तहत कम से कम 24 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रहना आवश्यक होता है और आप अस्पताल के खर्चों (कमरा, बोर्डिंग और ऑपरेशन थिएटर), डॉक्टर की फीस, चिकित्सा जाँचों, दवाईयों आदि के लिए बीमा–रक्षित होते हैं। पर हम समझते हैं कि कुछ उपचार प्रक्रियाएँ तकनीकी उन्नयन के कारण त्वरित और शीघ्र होती हैं और इनके लिए 24 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं होती है। अत: हम किसी अस्पताल या डे केयर सेन्टर पर करवाई जाने वाली डे केयर प्रक्रियाओं के अंतर्गत* उन्हें भी बीमा–रक्षित करते हैं।

रोबोटिक्स, स्टेम सेल और अन्य खास चीज़ें
चिकित्सा विज्ञान में बड़ी उन्नति हो गई है और इसीलिए आपकी स्वास्थ्य पॉलिसी भी उन्नत होनी चाहिए, इसीलिए हम कुछ विशेष^ उपचारों को 50% बीमा राशि तक बीमा–रक्षित करते हैं, जो कम हस्तक्षेपकारी होते हैं और जिनसे जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिलता है, जैसे रोबोटिक सर्जरियाँ, स्टेम सेल थैरेपी, बलून साइनोप्लास्टी आदि।

30/60 या 60/90, आप ही चुनिए
एक हेल्थवाइस पॉलिसीधारक के रूप में आप अपनी पॉलिसी योजना में अस्पताल में भर्ती होने के 30 दिन पहले और 60 दिन बाद तक की बीमा–सुरक्षा चुन सकते हैं, या फिर अस्पताल में भर्ती होने के 60 दिन पहले और 90 दिन बाद तक का चुनाव कर सकते हैं। इस लाभ में आपके अस्पताल में भर्ती होने के पहले से संबंधित चिकित्सा व्यय और छुट्टी होने के बाद उस बीमारी से संबंधित व्यय बीमा–रक्षित होते हैं, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने संबंधी दावा स्वीकृत हुआ हो।

कुछ और भी है, जिससे आप राजी हों

हम करीब भी हैं, और कैशलेस भी
हम आपको संपूर्ण भारत में कहीं भी सर्वश्रेष्ठ उपचार और स्वास्थ्य–लाभ पाने के लिए अपना अस्पताल चुनने की स्वतंत्रता देते हैं, जो आपके घर के करीब भी हो सकता है और ऐसे 7300+ अस्पतालों के विशाल नेटवर्क में से भी, जहाँ आपको मिलती है कैशलेस दावे की सुविधा।

क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है
हम 4 क्रमागत और लगातार पॉलिसी वर्षों का एक ब्लॉक पूरा होने पर, बशर्ते कि उस ब्लॉक के दौरान किसी भी बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसियों के अंतर्गत कोई दावे प्रतिवेदित नहीं हुए हों, चिकित्सा जाँच## के खर्च की प्रतिपूर्ति करेंगे, जो कि वैयक्तिक पॉलिसियों के लिए औसत बीमा राशि के 1% तक और पारिवारिक बीमा–सुरक्षाओं के लिए बीमा राशि के 1.25% तक होगा।

हम समझते हैं गंभीर स्थिति को
हम समझते हैं कि किसी गंभीर बीमारी के होने का पता लगना कितना दु:खद होता है, और चूँकि हम नहीं चाहते कि उस कठिन समय में आप पर कोई आर्थिक बोझ आए, इसलिए हम आपको इस योजना में ऐसे विकल्प प्रदान करते हैं, जिनमें सूचीबद्ध गंभीर बीमारियों** के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने के अंतर्गत चयनित बीमाकृत राशि के बराबर अतिरिक्त राशि दी जाती है, जिसके लिए पॉलिसी शुरू होने की तिथि से 30 दिन से अधिक अवधि के बाद प्रथम निदान एवं उपचार होता है।

स्वस्थ भी और युवा भी, तो जाँच ज़रूरी नहीं
एक अच्छी बात! अगर आप सेहतमंद आदतें रखते हैं और आपको पहले से कोई बीमारी नहीं है, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको हेल्थवाइस पॉलिसी लेने के लिए 45 वर्ष से कम आयु तक कोई पॉलिसी–पूर्व चिकित्सा जाँच करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

टैक्स की बचत, फिर आपकी जेब में
इस पॉलिसी में आपको टैक्स का लाभ भी मिलता है. इसमें दी गई प्रीमियम आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 80डी के अंतर्गत कटौती के योग्य है। इस लाभ के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।
ध्यान दें : कर कानून परिवर्तन के अधीन होते हैं।

*पॉलिसी शब्दावलियों में सूचीबद्ध उपचार प्रक्रियाओं के अधीन।
^बीमा–रक्षित विशेष उपचारों की संपूर्ण सूची के लिए कृपया पॉलिसी शब्दावली देखें।
##वैयक्तिक पॉलिसियों के लिए निर्दिष्ट सीमा प्रत्येक बीमित व्यक्ति पर लागू होती है और पारिवारिक बीमा–सुरक्षा के लिए निर्दिष्ट सीमा सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध समग्र सीमा है।
**इस योजना के अंतर्गत बीमा–रक्षित गंभीर बीमारियों के लिए कृपया पॉलिसी शब्दावली पढ़ें। एक बार दावा स्वीकृत हो जाने और उसके लिए भुगतान हो जाने पर, इस अनुच्छेद के अंतर्गत बीमा–सुरक्षा सभी भावी नवीनीकरणों के लिए उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी।

डिस्काउंट, डिस्काउंट और ज़्यादा डिस्काउंट

बालिका के लिए छूट
हम बालिका सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं! अगर आप 2 वयस्क + 2 बच्चे वाली पारिवारिक पॉलिसी में अपनी दो बेटियों को बीमा–रक्षित करवाते हैं तो हम आपको 7% की छूट देते हैं और अगर आप किसी पॉलिसी (या तो 2 वयस्क + 1 बच्चा या 2 वयस्क + 2 बच्चे) में एक बेटी को बीमा–रक्षित करवाते हैं तो 4% की छूट देते हैं।

नवीनीकरण पर छूट
हम चाहते हैं कि हम आपकी सेहत का ध्यान रखें, इसीलिए हम आपको स्वयं को स्वस्थ रखने पर पुरस्कृत भी करते हैं। प्रत्येक दावा–मुक्त नवीनीकरण के लिए, आपको लागू प्रीमियम पर 5% की छूट मिलती है। यह छूट लगातार 4 दावा–मुक्त वर्षों तक के लिए, यानी अधिकतम 20% होती है।

प्रीमियम पर 12% की छूट, यदि पॉलिसी को इंटरनेट चैनल या टेली–मार्केटिंग के माध्यम से खरीदा गया हो।

ध्यान रखें : सभी डिस्काउंट्स का योग समेकित रूप से 37% से अधिक नहीं होगा.

पॉलिसी में सब कवर है, बस ये नहीं^

रिलायंस जनरल इंश्योरेन्स में हम पारदर्शिता में विश्वास करते हैं. कोई दावा करते समय आपके सामने अचानक कोई अप्रिय बात न आए, इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं इस पॉलिसी के कुछ प्रमुख अपवर्जन, कृपया इन पर एक नज़र डालिए :

- जाँच एवं मूल्यांकन/सकुशलता एवं कायाकल्प
- पूरक आहार एवं पदार्थ
- कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी
- खतरनाक या रोमांचक खेल
- कानून का उल्लंघन
- मादक द्रव्यों एवं शराब का सेवन
- अपवर्तक त्रुटियाँ
- वंध्यत्व एवं बाँझपन
- मातृत्व संबंधी व्यय
- दंत उपचार
- बाह्य जन्मजात विसंगति
- नॉन–एलोपैथी : विषयेतर उपचार
- स्वयं को चोट पहुँचाना या आत्महत्या
- नाभिकीय हमला/युद्ध

^यह सूची सांकेतिक है। सामान्य एवं स्थाई अपवर्जनों को विस्तृत रूप से समझने के लिए हमारी वेबसाइट www.reliancegeneral.co.in पर उपलब्ध सूचीपत्र/पॉलिसी शब्दावली पढ़ें।

दावे के लिए आसान कदम

आपके हेल्थ कार्ड पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर 1800 3009 का इस्तेमाल करते हुए अस्पताल में भर्ती की हमारी हेल्थ क्लेम्स टीम RCARE को सूचित करें।

RCARE को आवश्यक कागजात जमा कराएं।

नेटवर्क अस्पताल – RCARE द्वारा कैशलेस सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।
गैर–नेटवर्क अस्पताल – भरपाई के दावों के लिए, कृपया हमारी पॉलिसी शब्द योजना में उल्लेख की गई प्रकिया का पालन करें।

एक स्मार्ट विकल्प चुनने के लिए, हमसे अभी संपर्क करें

वेबसाइट	reliancegeneral.co.in
कॉल	1800 3009 (टोल फ्री) 022-4890 3009 (सशुल्क) **022-33834185 (सशुल्क) – वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशिष्ट लाइन।**
वॉट्सएप	74004 22200

हमारे इंश्योरेन्स एड्वाइजर से संपर्क करें

ब्रोबोट स्पीड चाहिए?
हमारे साथ डिजिटल बनिए।
RELIANCE Selfi

छूटों की निषिद्धता – बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 41 के अनुसार, जैसा बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित है।
किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो। इस अनुच्छेद के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति अर्थदंड का भागी होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

लाभों, संरक्षण, नियमों व शर्तों तथा अपवर्जनों की पूरी जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट www.reliancegeneral.co.in पर विज़िट करें और कृपया बिक्री के समापन से पहले सेल्स ब्रोशर, प्रॉस्पैक्टस और पॉलिसी की शब्द–योजना को ध्यानपूर्वक पढ़ें। टैक्स संबंधी कानूनों को बदला जा सकता है।

आईआरडीएआई रजिस्ट्रेशन नं. 103. रिलायंस जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: रिलायंस सेन्टर, साउथ विंग, चौथी मंजिल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई–400 055. कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर: U66603MH2000PLC128300. रिलायंस हेल्थवाइस पॉलिसी UIN: RELHLIP21522V032021. उपरोक्त प्रदर्शित ट्रेड लोगो अनिल धीरूभाई अंबानी वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड का है और इसे लाइसेंस के अंतर्गत रिलायंस जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा उपयोग किया जाता है। रेट्स केवल थर्ड पार्टी के लिए निश्चित हैं* किसी शब्द या अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए कृपया अंग्रेजी विवरणिका भी देखें*

हमें यहाँ फॉलो करें

An ISO 9001:2015 Certified Company

RGI/MCOM/CO/Reliance HealthWise Policy/BR/VER.1.0/120121.